

**Standardisation of time for Erection of thermal Power Units by Central Electricity Authority**

5116. SHRI RAM AVTAR SHARMA : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether the Central Electricity Authority have ever ascertained and standardised the minimum time which ought to take in the erection of each of a 50 MW and 100 MW Thermal Power Units under normal conditions; and

(b) what is the minimum number of man-days involved in the erection of such power units at Neyveli Thermal Power Station ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDDHESHWAR PRA-SAD) : (a) The question of standardisation of time required for erection of generating units does not fall within the purview of the functions of the Central Electricity Authority.

The time involved in the erection of generating units depends on several factors, e. g., organisational set up, made of erection availability of skilled and non-skilled workers, delivery of plant and equipment, etc. etc. As these factors are variable from project to project, the minimum time required for erection of thermal generating units has not been standardised.

(b) Man-days involved in the erection of mechanical and electrical equipment excluding civil works at Neyveli station are of the following order :

50 MW unit—1,63,000 man-hours

100 MW unit —2,30,000—do—

बरेली में उत्तर प्रदेश क्षेत्र के चिकित्सा निदेशालय के तृतीय श्रेणी के असैनिक कर्मचारी

5117. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरेली में उत्तर प्रदेश क्षेत्र के चिकित्सा निदेशालय के मुख्यालय के तीसरी

श्रेणी के कितने असैनिक कर्मचारियों की सेवाएं वर्ष 1964 में समाप्त कर दी गई थी ;

(ख) उन की सेवाओं की इस प्रकार समाप्त करने के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या सारे मामले की जांच करने का प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) से (ग). सूचना इवट्टी की जा रही है, और यथाशीघ्र सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

**असैनिक विमानों का गोरखपुर हवाई अड्डे पर उतरना**

5118. श्री महन्त अवैध नाथ : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले असैनिक विमानों पर गोरखपुर हवाई अड्डे पर उतरने दिया जाता था ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब वहां असैनिक विमानों के उतरने पर रोक लगा दी गई है और यदि हां, तो यह रोक कब तक से लगाई गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस रोक को फिर से हटाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री भगजीवन राम) : (क) जी हां, भारतीय वायु सेना से निर्वाधिता-सहित।

(ख) जी नहीं !

(ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठते।